

11/06/24

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बेगूँ, जिला चित्तौडगढ (राज.)

क्रमांक/भू.अ./पत्थरगढी/2024/ 1985

दिनांक 07.06.2024

प्रेषित,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
तहसील बेगूँ

विषय - पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।


प्रसंग - श्रीमान के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/2024/64 दिनांक 14.05.2024 कि पालना
मे

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हे कि उक्त प्रांसगिक आदेश की पालना मे मौजा ~~मण्डल~~ चेची पटवार मण्डल चेची के आ.न. 1012/2, 1013, 1015, 1057, 1058/2, 1059/2, 1075/2, 1076/2, 1289/2, 1290/2, 671/2, 978, 985/2, किता 13 कुल रकबा 1.87 है. भूमि की पत्थरगढी वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिती दिनांक 05.06.2024 को भू.अभिलेख निरीक्षक चेची द्वारा कि गई।

अतः पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे प्रेषित है।

सलग्न- 1 रिपोर्ट भू.अभि.निरीक्षक, मय पर्चा मौका


तहसीलदार(भू.अ.)
तहसीलदार (भू.अ.)
बेगूँ, जिला-चित्तौडगढ

पालना रिपोर्ट कार्यालय मु. अभिलेख निरीक्षक वृत्त-चेन्नी

महोदय जी,

निवेदन है कि श्रीमान् सहायक कलेक्टर महोदय बेगू (उपखण्ड अधिकारी) के न्यायालय में विचाराधीन बन्द-संख्या/प्रार्थनापत्रसंख्या में पारित आदेश क्रमांक/सरिश्ता/2019 2024/164 दिनांक 14⁰⁵/₂₄ एवं श्रीमान् तहसीलदार साहब बेगू के आदेश क्रमांक/सेवेन्यू/2019/1680 दिनांक 24⁰⁵/₂₄ की पालना में

मौजा चेन्नी पटवार मण्डल-चेन्नी की आराजी संख्या $\frac{1012}{2}, 1013, 1015, 1057, \frac{1058}{2}, \frac{1059}{2}, \frac{1075}{2}, \frac{1076}{2}, \frac{1289}{2}, \frac{1290}{2}, \frac{671}{2}, 978, \frac{985}{2} =$

कुल किता 12 कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी/बेटबन्डा की कार्यवाही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में दिनांक 05.06.2024 को संपादित की जाकर मौके पर उपस्थितान् के हस्ताक्षर लिये गये। सीमाकरण/पत्थरगढी प्रार्थी व अप्रार्थी के 01 की सीमाओं पर किया गया।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु पेश है।

संलग्न:-1 पर्चा मौका
2 सूचनापत्र

L.R.
6/6/24

मु. अभिलेख
नरीक्षक वृत्त चेन्नी
तह. बेगू

मौजा पर्ची ग्राम - चेची तहसील - बेगूस

दि. 05.06.2024

सीमान सहायक मलकर महो. बेगूस के आदेश क्र. 1 सरिखत/2024/64 दिनांक 14.05.24 व सीमान तहसीलदार महो. बेगूस के आदेश क्र. 1 भू.अ. 2024/1680 दि. 24.05.24 की पालना में मौजा चेची के आ. न. $\frac{1012}{2}$, 1013, 1015, 1057, $\frac{1058}{2}$, $\frac{1059}{2}$, $\frac{1075}{2}$, $\frac{1076}{2}$, $\frac{1289}{2}$, $\frac{1290}{2}$, $\frac{671}{2}$, $\frac{978}{2}$ कित्ता 13 रकबा 1.87 हेक्टे. कि पत्थरगढी के आदेश होने से प्राणीगण द्वारा उपो. क्षेत्रों से लेकर बताया की उक्त भूमि पैतृक है व बंटवारा से उन्हें प्राप्त हुई है। अतः उनके भाई चुन्नीलाल पि. नन्दा चाकड के आराजी के साथ लगती भूमि पर सीमा विवाद है। अतः उनकी आराजी व भाई की आराजी के मध्य सीमाओं पर सीमांकन कर पत्थर करवाये जावे जिसमें उनके भाई की सहमती है। अतः दिनांक 05.06.24 को पत्थरी चेची के साथ मौजे पर उपस्थित हुआ एवं उपरोक्त वर्णित आराजी का सीमांकन कर पत्थर कायम करवाये गए। दोनो पक्षकार शंभूलाल प्राणी व चुन्नीलाल (अप्राणी) पि. नन्दा चाकड उक्त सीमांकन से संतुष्ट हैं। मौजा पर्ची मुनिब किया जाकर पढकर सुनाया व उपो. के हस्ताक्षर करवाये गए।

गो. ल.
मि. भू. अ. चेची

Handwritten signature

शंभूलाल
(प्राणी)

चुन्नीलाल विक्रम कुमार
(अप्राणी क्र. 1)

शंभूलाल

शंभूलाल